Comparative Study of the Academic Achievement of the Students Admitted in the Private Schools Under the 'Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009' and by Normal Procedure

निजी विद्यालयों में 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' के अंतर्गत प्रवेशित एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन

Nagendra Singh Tiwari[1]

[1] *Lecturer, Government College of Teacher Education Rewa, Madhya Pradesh, India*

ABSTRACT

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद इस अधिनियम के प्रावधान अनुसार ग़ैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में न्यूनतम 25% वंचित समूह व कमज़ोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य किया गया है। किंतु अभी भी अभिभावको की जागरूकता आदि में कमी के कारण बच्चे पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो पा रहें है। इस शोध अध्ययन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निजी शालाओं की 25 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेशित वंचित व कमज़ोर वर्ग के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि व सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया था। शोध विषय के अनुरूप 120 विद्यार्थियों का चयन न्यादर्श के रूप में यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से किया गया था। 120 विद्यार्थियों में 60 विद्यार्थी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत प्रवेशित व शेष 60 सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित विद्यार्थी चुने गए थे। इस हेतु कक्षा 5 स्तर पर छात्र-छात्राओं की वर्तमान उपलब्धि स्तर का आंकलन करने हेतु पर्यावरण, हिन्दी, अंगेजी व गणित में अर्जित दक्षता स्तर को वर्गीकृत रुप में प्रस्तुत कर उपलब्धि परीक्षण पत्र निर्मित कर समान शोध समूह पर प्रशासित किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत प्रवेशित बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों से कम है।

Keyword: -निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 , शैक्षिक उपलब्धि।

---

1. प्रस्तावना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने संबंधी अधिनियम है । इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र में सामाजिक संरचना को मजबूत करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सशक्त बनाना है। यह एक बहुप्रचारित एवं बहुप्रतीक्षित अधिनियम है। इसे सामान्यतया RTE एक्ट के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में यह क्रांतिकारी कानून मील का पत्थर है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे विश्व में पहला ऐसा कानून है जो बच्चों के शाला में शत-प्रतिशत नामांकन, शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा शत-प्रतिशत प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए सरकार को बाध्य करता है । यह अधिनियम 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से कक्षा 8 तक) उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करता हैं।

मध्य प्रदेश राज्य में इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम दिनांक 26 मार्च 2011 से लागू हैं। वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के बच्चों का प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था हेतु नियम अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्रायवेट स्कूलों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रायवेट स्कूलों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में अथवा प्री स्कूल की शिक्षा से प्रारंभ होने वाले निजी विद्यालयों की प्रवेशित कक्षा में, न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर

वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य किया गया है। निजी विद्यालयों को शासन द्वारा नियमानुसार फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

निजी स्कूल की न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर पड़ोस की बसाहटों में निवासरत् वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चे उपरोक्त सुविधा का लाभ उठा सकते हैं । निःशुल्क प्रवेश हेतु न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों के चयन की प्रक्रिया लाटरी द्वारा की जाती है। कक्षा 1 में प्रवेश के बाद संबंधित स्कूल में कक्षा 8 तक निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाती है। वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार और 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले बच्चे शामिल हैं जबकि कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे के परिवार शामिल हैं। वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के लिए राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार के लिए संबंधित पट्टा या वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी अधिकार पत्र, निःशक्तता वाले बच्चों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र या उपरोक्त सभी के लिए किसी अन्य शासकीय दस्तावेज में दर्ज जानकारी के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। कमजोर वर्ग के लिए बी.पी.एल. कार्ड मान्य है। पड़ोस की बसाहट से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल से संबंधित ग्राम तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम तथा शहरी क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो, पड़ोस की सीमा है। नगरीय क्षेत्र में स्कूल से संबंधित वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो, पड़ोस की सीमा है। यदि पड़ोस की सीमा स्थित बसाहटों में प्रवेश के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत संबंधित वर्ग के बच्चे उपलब्ध नही होते हैं तो उससे लगी पड़ोस की बसाहट के बच्चों को प्रवेश के लिए विचार में लिया जाएगा। पड़ोस के बसाहट के निवासी प्रमाण के लिए बिजली, पानी का बिल, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, भू अधिकार पुस्तिका, बी.पी.एल./ए.पी.एल. कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार गांरटी योजना (म.न.रे.गा.) का जॉब कार्ड या अन्य शासकीय दस्तावेजों की प्रति मान्य है।

1.1 शैक्षिक उपलब्धि

शिक्षा प्रक्रिया को संचालित करने वाले व्यक्ति विभिन्न स्तरों के छात्रों के लिए शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। शैक्षिक उपलब्धि से तात्पर्य इन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति से है। विद्यार्थियों ने शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है यही उनकी शैक्षिक उपलब्धि को बताता है।

शैक्षिक उपलब्धि से तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी छात्र द्वारा दिए गए निर्देशों से लाभ उठाने से है, अर्थात् किसी भी शैक्षिक प्रेरक की उपस्थिति में जब कोई छात्र ज्ञान प्राप्त करके अधिकतम कार्य करने में समर्थ हो जाता है तब उसे उस छात्र की उपलब्धि कहते हैं।

शैक्षिक उपलब्धि शैक्षिक कार्य में प्राप्त प्रवीणता तथा उसमें कामयाबी प्राप्त करने से है। सामान्यतः किसी भी छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का सीधा सम्बन्ध उसके द्वारा वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंक, उस छात्र की विद्यालय में उन्नति तथा अन्य विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। शैक्षिक उपलब्धि का अर्थ साधारण रूप से उपलब्धि का अर्थ चिन्तित समय में व्यक्ति को जो ज्ञान दिया जाता है। वह उसको जितना ग्रहण कर पाता है, से सम्बन्धित है। उपलब्धि का अर्थ विस्तृत है यह एक सामान्य प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति के कार्य में संलग्न होने पर व सफल होने की आवश्यकता को प्रभावित करती है।

इस प्रकार से उपर्युक्त परिभाषाओं को आत्मसात करते हुये शैक्षिक उपलब्धि से हमारा तात्पर्य उस उपलब्धि से है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली-भाँति कर लेता है। उपलब्धि परीक्षा के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि मस्तिष्क कहाँ तक ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुआ है। इस शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार निजी शालाओं की 25 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेशित वंचित व कमज़ोर वर्ग के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की तुलना में कैसी है?

2. अध्ययन का महत्व

विकास शील भारतवर्ष का मुख्य उद्देश्य है की देश का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। चाहे वह वंचित या ग़रीब हो, शिक्षा पाना उसका मौलिक अधिकार है। किसी देश का आर्थिक व सामाजिक विकास शिक्षा पर आधारित होता है। शिक्षित व्यक्ति देश का ज़िम्मेदार नागरिक होता है। नये शैक्षणिक परिपेक्ष्य में एस.एस.ए-आर.टी.ई द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं मानकों को पूरा करने हेतु किये जा रहे संयुक्त प्रयासों ने संपूर्ण देश में सार्वभौम शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। देश के साथ ही मध्य प्रदेश राज्य में भी इसकी ऐतिहासिक शुरूआत हुई। मध्य प्रदेश राज्य

के रीवा जिले में भी 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार' कानून 1 अप्रले 2010 से प्रभावशील हुआ। सर्वविदित है कि कानून बना देने मात्र से ही शैक्षणिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो जाती अपितु जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना, समाज के अंतिम व्यक्ति/बालक तक इसका लाभ पहुँचना भी इतना ही महत्वपूर्ण है। प्रायः यह देखने में आया है की आर्थिक दृष्टि से मज़बूत अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु निजी विद्यालयों में प्रवेश दिला देतें हैं परंतु वंचित समूह व कमज़ोर वर्ग के बच्चों को महँगी फ़ीस जमा ना कर पाने के कारण इन निजी विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पता था।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार ग़ैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में न्यूनतम 25% वंचित समूह व कमज़ोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य किया गया है, किंतु अभी भी अभिभावको की जागरूकता आदि में कमी के कारण बच्चे पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो पा रहें है। अभी भी प्रायः यह देखने में आता है की RTE के प्रावधानो के तहत वंचित व कमज़ोर परिवारों के बच्चों को निजी विद्यालयों की 25% सीट पर प्रवेश तो मिल जाता है परंतु उनकी शैक्षिक उपलब्धि तुलनात्मक रूप से काम रहती है। अतः शोधार्थी ने रीवा ज़िला अंतर्गत संचालित निजी विद्यालयों में 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' के अंतर्गत प्रवेशित एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करने का निश्चय किया है।

3. शोध शीर्षक

"निजी विद्यालयों में 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' के अंतर्गत प्रवेशित एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन।"

4. शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

निजी विद्यालय- निजी विद्यालयों से तात्पर्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों से है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009- संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंत: स्थापित अनुच्छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसाकि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 में बच्चों का अधिकार, जो अनुच्छेद 21क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल, जो कतिपय अनिवार्य मानदण्डों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एकसमान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रांरभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रवेशित-शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार ग़ैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में न्यूनतम 25% वंचित समूह व कमज़ोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिए जाने से है।

सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित- सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित का तात्पर्य निजी विद्यालयों में ऐसे बच्चों के प्रवेश से है जिन्हें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश नहीं दिया गया है।

शैक्षिक उपलब्धि- शैक्षणिक उपलब्धि का तात्पर्य, पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में छात्र के ज्ञान, समझा एवं कौशल से है।

5. उद्देश्य

1. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय में सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

3. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

6. परिकल्पनाएँ

1. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय में सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

7. शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि विधि का प्रयोग किया गया है। शोध के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु शोध उपकरण का निर्माण किया गया। इसे अंतिम रुप देने से पूर्व समान समूह पर इस उपकरण का परीक्षण किया गया। प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता मुद्दों का संबंध अध्ययन अध्यापन प्रकिया से भी है। अध्ययन अध्यापन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में उपलब्धि का स्तर है। इस हेतु कक्षा 5 स्तर पर छात्र-छात्राओं की वर्तमान उपलब्धि स्तर का आंकलन करने हेतु पर्यावरण, हिन्दी, अंगेजी व गणित में अर्जित दक्षता स्तर को वर्गीकृत रुप में प्रस्तुत कर उपलब्धि परीक्षण पत्र निर्मित कर समान शोध समूह पर प्रशासित किया गया था। प्रस्तुत शोध में अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रवेशित व सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित, चयनित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के कक्षा पाँच के विद्यार्थियों में उपलब्धि परीक्षण कराया गया व उनसे प्राप्त अंकों को क्रमबद्ध करके, उनका वर्गीकरण कर सारणी में व्यवस्थित किया गया। विद्यार्थियों की उपलब्धि के तुलनात्मक अध्ययन के लिए मध्यमान, मानक विचलन, मध्यमान की मानक त्रुटि, एवं t परीक्षण किया गया था।

8. समंक विश्लेषण

$H0_1$- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका क्रमांक 1

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों कीशैक्षिक उपलब्धि की तुलनात्मक तालिका

चर	प्रवेश का प्रकार	N	मध्य मान	मानक विचलन	मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि	मध्यमानों का अन्तर	t मान	df	महत्व का स्तर	परिणाम
शैक्षिक उपलब्धि	RTE STU-DENT -CBSE	30	3.06	0.66	0.15	0.53	3.53	58	0.05=2.00	परिकल्पना निरसित
	RTE. STU-DENT -MPBSE	30	2.53	0.48					0.01=2.66	

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान 3.06 है जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान 2.53 है। मध्यमान में अंतर 0.53 है तथा t मान 3.53 है जो कि 0.05 स्तर के मान 2.00 व 0.01 स्तर के मान 2.66 से अधिक है। यह दर्शाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर है। मध्यमान यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना में अधिक है।

आरेख क्रमांक 1

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक प्रदर्शन

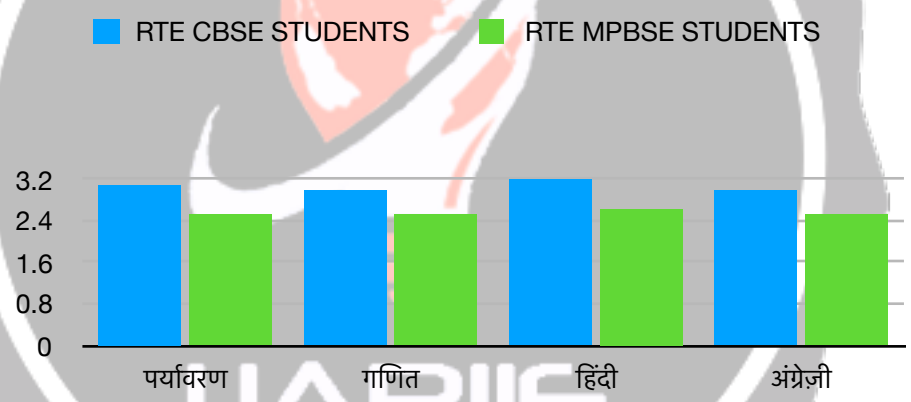

$H0_2$- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय में सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका क्र 2

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय में सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलनात्मक तालिका

चर	प्रवेश का प्रकार	N	मध्य मान	मानक विचलन	मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि	मध्यमानों का अन्तर	t मान	df	महत्व का स्तर	परिणाम
शैक्षिक उपलब्धि	NON RTE STUDENTS CBSE	30	3.06	0.66	0.15	0.58	3.86	58	0.05=2.00	परिकल्पना निरसित
	NON RTE STUDENTS MPBSE	30	2.48	0.50					0.01=2.66	

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है की सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान 3.06 है जबकि सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान 2.48 है। मध्यमान में अंतर 0.58 है तथा t मान 3.86 है जो कि 0.05 स्तर के मान 2.00 व 0.01 स्तर के मान 2.66 से अधिक है। यह दर्शाता है सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर है। मध्यमान यह प्रदर्शित करता है कि सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना में अधिक है।

आरेख क्र 2

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय में सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक प्रदर्शन

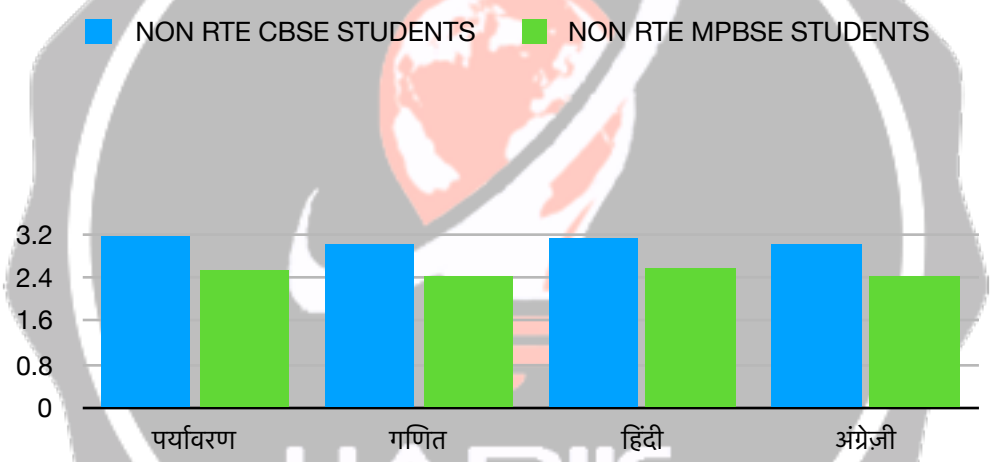

$H0_3$-केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका क्र 3

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलनात्मक तालिका

चर	प्रवेश का प्रकार	N	मध्य मान	मानक विचलन	मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि	मध्यमानों का अन्तर	t मान	df	महत्व का स्तर	परिणाम
शैक्षिक उपलब्धि	NON RTE CBSE STU-DENT	30	3.12	0.65	0.15	0.58	3.86	58	0.05=2.00	परिकल्पना निरसित
	RTE CBSE STUDENT	30	2.54	0.47					0.01=2.66	

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान 2.54 है जबकि सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान 3.12 है। मध्यमान में अंतर 0.58 है तथा t मान 3.86 है जो कि 0.05 स्तर में मान 2.00 व 0.01 स्तर के मान 2.66 से अधिक है। यह दर्शाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर है। मध्यमान यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना में कम है।

आरेख क्रमांक 3

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक प्रदर्शन

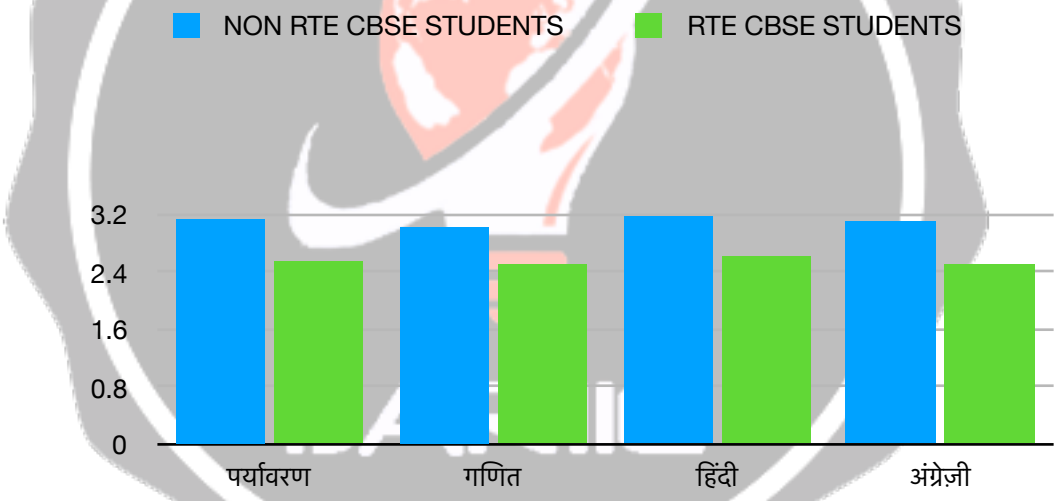

$H0_4$- माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका क्र 4

माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलनात्मक तालिका

चर	प्रवेश का प्रकार	N	मध्य मान	मानक विचलन	मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि	मध्यमानों का अन्तर	t मान	df	महत्व का स्तर	परिणाम
शैक्षिक उपलब्धि	NON RTE STUDENT MPBSE	30	3.12	0.65	0.15	0.58	3.86	58	0.05=2.00	परिकल्पना निरसित
	RTE STU-DENT MPB-SE	30	2.54	0.47					0.01=2.66	

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान 2.54 है जबकि सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान 3.12 है। मध्यमान में अंतर 0.58 है तथा t मान 3.86 है जो कि 0.05 स्तर में मान 2.00 व 0.01 स्तर के मान 2.66 से अधिक है। यह दर्शाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर है। मध्यमान यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना में कम है।

आरेख क्रमांक 4

माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एवं सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक प्रदर्शन

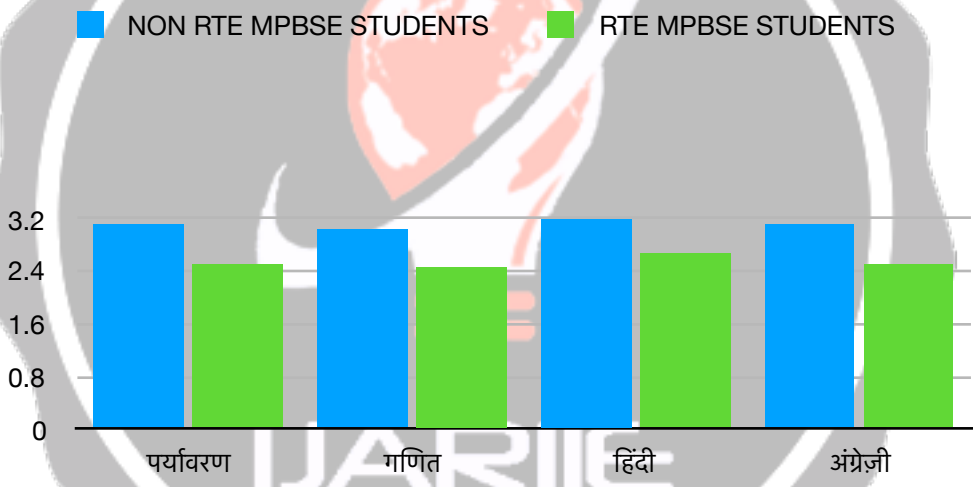

9. निष्कर्ष

1. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना में अधिक है।
2. सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना में अधिक है।
3. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना में कम है।
4. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य प्रक्रिया से प्रवेशित माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना में कम है।

10. सारांश

शाला प्रबंधन द्वारा वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के पालकों को शाला प्रबंधन समिति की प्रतिमाह होने वाली बैठकों में आमंत्रित कर उनके पाल्यों की शैक्षिणिक उपलब्धि की जानकारी से अवगत कराया जाना चाहिए। यदि यथोचित अधिगम स्तर की प्राप्ति में कठिनाई आ रही हो तो पालकों के सहयोग से इसके निराकरण का उपाय किया जाना चाहिए। शाला प्रबंधकों एवं शिक्षकों एवं सहपाठियों द्वारा आरक्षित सीटों में प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इनके द्वारा शाला एवं कक्षा में किसी भी प्रकार की भेद-भाव पूर्ण नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए। इनके प्रति मानवीय एवं सहानूभूति पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। शासन द्वारा लागू पुस्तकों व अन्य सामग्री ख़रीदने या उपयोग के लिए बाध्य करने पर कार्यवाही किया जाना चाहिए।

प्रवेश प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी होनी चाहिए। नोडल स्तर पर स्थानीय क्षेत्र की निजी शालाओं में 25 % आरक्षित सीट की उपलब्धता संबंधी जानकारी का प्रकाशन किया जाना चाहिए।
जिले द्वारा वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के पालकों को जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। एक भी सीट रिक्त न रहे, इसके लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए। नोडल ब्लॉक एवं जिला स्तर पर शिविरों का आयोजन कर प्रवेश प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाना चाहिए। प्रवेश संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया की मॉनीटरिंग की जानी चाहिए।

शासन द्वारा ग़ैर अनुदान प्राप्त निजी शालाओं को पूरी निष्पक्षता से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मापदण्डों को पूर्ण रूपेण लागू किए जाने हेतु कड़े निर्देश जारी कर कार्यवाही किया जाना चाहिए। शासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कम गुणवत्ता वाले निजी शालाओं में आर.टी.ई एक्ट के मापदण्डों को पूर्ण रूपेण लागू किए जाने हेतु कड़े निर्देश जारी कर कार्यवाही किया जाना चाहिए। ताकि स्थानीय बच्चे इसका समुचित लाभ उठा सकें। शाला प्रबंधन द्वारा बीच में पढ़ाई छोडने वाले विद्यार्थियों एवं पालकों की उचित काउन्सलिंग की जानी चाहिए। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर भी शाला में उनके ठहराव को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इ.डब्ल्यू.एस वर्ग के पालकों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के इस प्रावधान के प्रति जागरूक करने हेतु स्थानीय एन.जी.ओ, स्व सहायता समूहों, महिला मण्डल, नवयुवक मण्डल, आदि का सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

11. संदर्भ ग्रंथ सूची

- आर. एम. एस. ए. (2009).निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009. रायपुरः राजीव गांधी शिक्षा मिशन.
- अगव्राल.जे.सी.(2013).भारत में प्राथमिक शिक्षा. दिल्लीः विद्या विहार.
- भारद्वाज, आर. (2011). शिक्षा का अधिकार अधिनियमः समाज के विभिन्न वर्गों की जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन.भारतीय आधुनिक शिक्षा वर्ष 31अंक 4, पृ.क्र. 52-68. मेरठ.
- बाबेल, ए. बी. (2012). निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009. रायपुरः इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी प्रकाशन विभाग. नई दिल्ली.
- गुप्ता. एम. के. (2012). शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व. प्राथमिक शिक्षा वर्ष 36 अंक 2, पृ.क्र. 05-08
- कुमार, वि. एस. (जुलाई-दिस 2014). सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रभाव की समीक्षा. भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका वर्ष 33 अंक 2, पृ.क्र. 68-73.
- मेहरोत्रा, एम. (2014). शिक्षा का अधिकार. भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका वर्ष 33 अंक 2, पृ.क्र. 68-73
- मेहरोत्रा. एम. एस. (2014). शिक्षा का अधिकार. दिल्लीः प्रभात पेपर बैक्स.
- शर्मा, ए. पी. आर. (2013). 21 वें सदी में शिक्षा का अधिकार चुनौतियॉं एवं सम्भावनायें. आगराः एच पी भागर्व बुक हाउस.
- एस. सी. ई. आर. टी. (2014).सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन निर्देशिका भाग-1. रायपुरः राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्.
- प्रजापति, आर. के. (2014). प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के मूल अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के परिपालन का अध्ययन. अप्रकाशित एम.एड. लघु शोध प्रबंध. शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रीवा।
- पाठक. ए. (2012). शिक्षा का अधिकार अधिनियम. रायपुरः वंश पब्लिकेशन.